प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 07.05.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में 22वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 27.03.2021 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बंटी पुत्र रोहताश निवासी मौ0 बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को तमन्चा बनाते हुए 03 अवैध तमन्चा मय 03 जिन्दा कारतूस व तमन्चा बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.05.2025 को माननीय न्यायालय ई0सी0 एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त बंटी पुत्र रोहताश निवासी मौ0 बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को धारा 3/5 आयुध अधिनियम मे 07 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बंटी थाना नहटौर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 33 A) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना नहटौर व को0 देहात पर गैंस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, नकबजनी/चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि गम्भीर धाराओं में करीब दो दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

नोट – हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा से दण्डित कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **22 वें हिस्ट्रीशीटर को दण्डित कराया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त बंटी पुत्र रोहताश निवासी मौ0 बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 07.05.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 363/376(3)/323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 61,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2022 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौहम्मद आलम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मंसूर सराय पित्थापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया व वादी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत व गलत कार्य किया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 235/22 धारा 363/376(3) भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 235/22 धारा 363/376(3)/323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त मौहम्मद आलम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मंसूर सराय पित्थापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर उपरोक्त को आजीवन कारावास व 61,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- मौहम्मद आलम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मंसूर सराय पित्थापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.05.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिलों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.05.2025 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी गोसपुर बालावाली थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति ने लाइब्रेरी के बाहर से उसकी मोटरसाईकिल एच0एफ0 डिलक्स रजि0 नं0 UP20BJ2948 चोरी कर ली गयी है। इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 382/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.05.2025 वादी मौ0 इमरान पुत्र अ0 हफीज निवासी मौहल्ला चाहशीरी B-22 थाना कोतवाली शहर जनपद ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मोटरसाईकिल एच0एफ0 डिलक्स रजि0 नं0 UP20CH3541 चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 383/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 07.05.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्त विकास अरोडा उर्फ लक्की पुत्र स्व0 रामलाल निवासी ग्राम सैफपुर फिरोजपुर रामराज थाना बहसूमा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास अरोडा उर्फ लक्की पुत्र स्व. रामलाल नि0 ग्राम सैफपुर फिरोजपुर रामराज थाना बहसूमा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण –

हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP20BJ2948

हीरो एच0एफ0 डीलक्स मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP12AW4639

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ब्राईट फ्लावर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1198 संदीप कुमार कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1319 अर्पित कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 07.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवालाकलां	रविदत्त शर्मा पुत्र नत्थूराम शर्मा नि0 ग्राम रामौरूपपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
2	को0 शहर	मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 यासीन निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3	को0 शहर	तौहिद खान पुत्र अ0 वहीद नि0 मछली बाजार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।
4	चांदपुर	शेरा पुत्र काले निवासी बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5	नहटौर	मनव्वर मिर्जा पुत्र याकूब मिर्जा नि0 मौ0 पीर जादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर।
6	नगीना देहात	मोनू पुत्र तोहिद उर्फ केसर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद- बिजनौर

मोबाईल नम्बर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना बढापुर **दिनांक- 07.05.2025**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना बढापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुलफाम उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 66/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 बाजार कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 139/20 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 174/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 202/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 160/24 धारा 115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5.मु0अ0सं0 208/24 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
6.मु0अ0सं0 66/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी प्रविन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3. मुख्य आरक्षी हरेन्द्र मलिक थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी रोहित चौधरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नगीना

दिनांक- 07.05.2025

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 167/23 धारा 420/406/120बी/409 भादवि मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.2023 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण फैजान उर्फ फैजी पुत्र अब्दुल मोईद निवासी मौ0 शाह जहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद जनपद बिजनौर व डा0 फय्याज पुत्र अ0 हकीम निवासी मौ0 नालबन्दान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा अपने साथियो के साथ हमसाज होकर बेईमानी से छलपूर्वक वादी का सोने का बिस्किट हडप लिया गया तथा वापस मांगने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 167/23 धारा 420/406/120(बी)/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैजान उर्फ फैजी पुत्र अब्दुल मोईद निवासी मौ0 शाह जहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान उर्फ फैजी पुत्र अब्दुल मोईद निवासी मौ0 शाह जहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी विपिन थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।